



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

पत्रांक 3073 / निदे०(परि०)/उपाकालि/ M-20

दिनांक 24/06/2025

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० 1827/अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/ दिनांक 25.04.2025 के अन्तर्गत की गयी व्यवस्था के आलोक में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० 3062/निदे०(परि०)/उपाकालि/एम-20 दिनांक 24.06.2025, जिसके माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर के कार्यभार से श्री अर्जुन प्रताप सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, काशीपुर को कार्यमुक्त करते हुए सम्बन्धित कार्यभार श्री रवि कुमार, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, रुड़की को अतिरिक्त रूप से प्रदान किया गया है, मैं निम्नानुसार अंशिक संशोधन किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/ पदनाम	वर्तमान तैनाती	नव-तैनाती का कार्यालय/स्थान/अतिरिक्त कार्य भार
-01-	-02-	-03-	-04-
1.	श्री अर्जुन प्रताप सिंह, अधीक्षण अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, काशीपुर। अतिरिक्त भार:- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर।	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, काशीपुर।
2.	श्री रवि कुमार, अधिशासी अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, रुड़की।	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर। अतिरिक्त भार:- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, रुड़की।

उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे एवं अन्य नियम शर्तें कार्यालय ज्ञाप सं० 3062/निदे०(परि०)/उपाकालि/एम-20 दिनांक 20.06.2025 के अनुसार यथावत् लागू रहेंगी।

निदेशक(परिचालन)

पत्रांक 3073 / निदे०(परि०)/उपाकालि/

तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि।
2. निदेशक(परियोजना/वित्त), उपाकालि।
3. अधिशासी निदेशक(मानव संसाधन), उपाकालि।
4. मुख्य अभियन्ता(वितरण), उपाकालि, हरिद्वार क्षेत्र, हरिद्वार।
5. महाप्रबन्धक(वित्त) वेतन एवं भत्ते, उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, विद्युत वितरण मण्डल, रुड़की/हरिद्वार।
7. अधिशासी अभियन्ता(सू०प्रौ०), उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
8. सम्बन्धित अधिकारी।

(एम०आर० आर्य)
निदेशक(परिचालन)